न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 236 / 2023

अनवान : –

1. सुनीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 24/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 33 / 350 मु0न0 721 की 2.7060 हैक्ट भूमि, ख0न0 735 की 6.8290 हैक्ट भूमि कुल 9.5350 हैक्ट भूमि में से 3.5025 हैक्ट भूमि की वादीया संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 33 / 350 की कुल 9.5350 हैक्ट भूमि में 15891 / 95350 हिस्सा भूमि वादीया को अपनी माता मच्छी देवी से विरासतन प्राप्त हुयी है तथा वादीया के पिता के फौत होने एवं माता मच्छी देवी के फौत होने पर उपरोक्त हिस्सा विरासतन दर्ज हुआ तथा वादीया की नानी रोशी देवी पत्नी हरिसिंह ने 1401 / 3814 हिस्सा भूमि वादीया को दान कर दी तथा वादीया के नाम उपरोक्त हिस्सा दर्ज हुआ जिसमें वादीया की वल्दियत सुनीता पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज है तथा वादीया का एक हिस्सा संयुक्त रूप से करवाकर 25458 / 47675 हिस्सा की अपनी वल्दीयत मच्छी देवी के स्थान पर पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर संशोधन करवा पाने की अधिकारीणी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश [illegible] राजस्व रिकार्ड में क्रम संख्या 5 व 6 दोनो को एक किया जाकर सुनिता [illegible] महेन्द्र सिंह जाति ज[illegible]किन प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 33/350 की कुल 9.5350 हैक्ट भूमि में 15891/95350 हिस्सा भूमि वादीया को अपनी माता मच्छी देवी से विरासतन प्राप्त हुयी है तथा वादीया के पिता के फौत होने एवं माता मच्छी देवी के फौत होने पर उपरोक्त हिस्सा विरासतन दर्ज हुआ तथा वादीया की नानी रोशी देवी पत्नी हरिसिंह ने 1401/3814 हिस्सा भूमि वादीया को दान कर दी तथा वादीया के नाम उपरोक्त हिस्सा दर्ज हुआ जिसमें वादीया की वल्दियत सुनीता पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज है तथा वादीया का एक हिस्सा संयुक्त रूप से करवाकर 25458/47675 हिस्सा की अपनी वल्दीयत मच्छी देवी के स्थान पर पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज करवाना चाहती है। वादीया का वाद स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 33/350 मु0न0 721 की 2.7060 हैक्ट भूमि, ख0न0 735 की 6.8290 हैक्ट भूमि कुल 9.5350 हैक्ट भूमि में से 3.5025 हैक्ट भूमि की वादीया संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है, उक्त राजस्व रिकार्ड में क्रम स0 5 व 6 पर दर्ज वादीया अपने हिस्सा को सम्मलित कर अपना नाम सुनीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज करवा चाहती है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड आदि में वादीया का नाम सुनीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर दर्ज है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी नाम संशोधन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 33/350 की कुल 9.5350 हैक्ट में वादीया को संयुक्त रूप से 25458/47675 हिस्सा तथा वादीया का नाम सुनीता देवी पुत्री मच्छी देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/04/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:19 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 236/2023

अनवान : –

1. सुनीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 77 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 33/350 की कुल 9.5350 हैक्ट में वादीया को संयुक्त रूप से 25458/47675 हिस्सा तथा वादीया का नाम सुनीता देवी पुत्री मच्छी देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 24/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:19 IST
Reason: SelfAttested